प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector Uttarkashi.**

No--- Dated-----29/1/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.533 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Kiranu Dhuniyara Thurindadhar Motor Road in Block Mori District Uttarkashi, Under CM Ghosna 246/2013 (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Kiranu, Dhuniyara, Thurindadhar village(s) in Mori tehsil(s).

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.533 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..23.....to annexure..23.2..

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above. अनिल अग्रवाल राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र.........तo... जिला उत्तरकाशी तहसीलदार मोरी जिला-उत्तरकाशी

जिलाधिकारी उत्तरकाशी
Signature
(Full name and official seal of the District Collector) उप जिलाधिकारी पुरोला जनपद उत्तरकाशी

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector Uttarkashi.

No---   Dated-----29/1/2015

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.533 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction division, P.W.D. Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Kiranu Dhuniyara Thurindadhar Motor Road in Block Mori District Uttarkashi, Under CM Ghosna 246/2013 (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Kiranu, Dhuniyara, Thaurindadhar village(s) in Mori tehsil(s).

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.533 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....to annexure……..

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Kandiya, Syaluka, Raun villages(s) is enclosed as annexure………23………….. to annexure…23:2……………

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

जिलाधिकारी
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT : UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Indudhar Baudai I.A.S deputy commissioner, Uttarkashi on dated .29.1.15... at time 3...P.M. at Uttarkashi in which application claiming rights in R.F. area measuring ...3.533.... hect for the construction of Kiranu Dhuniyara Thurindadhar Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Purola sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Uttarkashi

Dated:...29.1.15

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ————
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ————

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत किराणु-धुनिग्राम-ओरिख्डाधार मोटर मार्ग — (0.315 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.218 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ...... हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.533 हे0 वन भूमि) का लो० नि० वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सीके पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मोरी) की दिनांक 10/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री राजकुमार पाण्डेय ————उपजिलाधिकारी ———————— अध्यक्ष

2– श्री आर० एस० श्रीवास्तव ————उप प्रभागीय वनाधिकारी टौंस वन प्रभाग, ———— सदस्य

3– श्री डी० पी० नौटियाल ————सहायक समाज कल्याण अधिकारी मोरी ————सदस्य/सचिव

4– श्री मति सविता चौहान बी0डी0सी0 क्षेत्र किराणु ———————— सदस्य

उप जिलाधिकारी पुरोला

S D O Tons Forest Division

सदस्य 10/01/2015 क्षेत्र पंचायत किरानू–दूचाणू वि०ख० मोरी (उत्तरकाशी)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि किराणु-धुनिग्राम-ओरिख्डाधार मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.533 हे0 वन भूमि लो० नि० वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनु ंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री आर० एस० श्रीवास्तव द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत किराणु-धुनिग्राम-ओरिख्डाधार मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.533 हे0 वन भूमि लो० नि० वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पुरोला
जनपद उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पुरोला
जनपद– उत्तरकाशी

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ———
तहसील पुरोला, जिला :– उत्तरकाशी
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत किरानु - धुनिआरा - भौंखिडाधार मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.315 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.218 हे0 सिविल सोयम भूमि.......... हे0, वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल 3.533 हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० पुरोला विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किरानु द्वारा दिनांक 10/1/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम किरानु के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[signature] 12.01.15

ह0/–
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत किरानु
विकास खण्ड मोरी
ग्राम सचिव
मुहर सहित

[signature] 10/1/15
प्रधान
ग्राम पंचायत किरानु
वि0ख0 मोरी (उत्तरकाशी)
ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप—30.4

दिनांक 10/1/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	यशपाल सिंह	[illegible]
2.	रविन्द्र सिंह	[illegible]
3.	बलवीर सिंह	[illegible]
4.	मान पाल	मानपाल
5.	शान्ता देवी	शान्ता
6.	शोभाराम	शोभाराम
7.	सन्देश	[illegible]
8.	निलु देवी	निलु देवी
9.	सोहन सिंह	सोहनसिंह
10.	सुरेश कुमार	[illegible]
11	कमल सिंह	कमल सिंह
12	देवी राज	देवीराज
13	जनक सिंह	जनकसिंह
14	सरदार सिंह	सरदार सिंह
15	सेतलाल	सेतलाल
16	सूरत सिंह	[illegible]
17	दिनेश	Chauhan
18	प्रदीप सिंह	प्रदीप
19	मस्तराज	मस्तराम
20	सालिग राम	शालिग्राम
21	मोती लाल	[illegible]
22	गणेश सिंह	Chauhan
23	जयेन्द्र सिंह	Chauhan
24	कमलेश	KaChauhan
25	धर्मेन्द्र	[illegible]
26	विरेन्द्र सिंह	विरेन्द्र सिंह
27	लखिन्द्र सिंह	L.S. Chauhan
28	शमशेर सिंह	चौहान
29	बच्चन सिंह	[illegible]
30	प्रकाश सिंह	[illegible]
31	राकेश सिंह	Rakesh
32	हरि चौहान	हरि चौहान
33	हरिराज	[illegible]
34	हरपाल सिंह	हरपाल सिंह
35	रेवत सिंह	Rawat

(50)

36 बिन्दी देवी — बिन्दी देवी
37 रामशरन — R.Negi
38 हरपाल सिंह — हरपाल
39 किशोर — Kaml
40 भुवनेश्वर सिंह — [illegible]
41 सुनदास — सुनदास
42 बैसाखू — [illegible]
43 मंगलदास — मंगल दास
44 फूल दास — फूल दास
45 गीता देवी — [illegible]
46 कविता चौहान — [illegible]
47 संदीपा देवी — संदीप
48 दौलत सिंह — [illegible]
49 आगा सिंह — [illegible]
50 कान्हा सिंह — [illegible]
51 कलम सिंह — [illegible]
52 राजन चौहान — S.S. Saunkhata
53 सरदार सिंह — H Chauhan
54 हरवेश — [illegible]
55 नरेन्द्र सिंह — नरेन्द्र सिंह
56 जगमोहन सिंह — [illegible]
57 सतपन सिंह — [illegible]
58 शारदा — शारदा देवी
59 राजप्यारी — रामप्यारी
60 जगेशी देवी — [illegible]
61 केवल सिंह — Kapel
62 कपिल — M.Chauhan
63 मोहन — देवेन्द्र
64 देवेन्द्र — नागेन्द्र
65 नागेन्द्र — कलीराम
66 केलीदास — प्रकाश कलान
67 प्रकाश — KamalChand
68 कमल चन्द